(4)

संख्या– 136 /XV-1/2015/7(2)15

(19)

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2016

विषयः विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजनान्तर्गत बकरा/मेढ़ा/गाय पालन/खच्चर पालन/बकरी पालन /भेड़ पालन इकाईयों की स्थापना 90 प्रतिशत अनुदान पर तथा कुक्कुट पालन इकाई की स्थापना शत प्रतिशत अनुदान पर की जायेगी। इकाईयों की स्थापना उपरोक्त विकासखण्डों में समान रूप से की जायेगी।

2. योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों का चयन, चयन प्रक्रिया, पशु क्रय, पशु क्रय समिति, पशु बीमा, प्रति इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित होगीः–

(अ) लाभार्थियों के चयन हेतु समिति :–

1. धारचूला एवं मुनस्यारी ब्लॉकों का प्रमुख।
2. विकासखण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1।
3. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2/पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. संबंधित विकासखण्ड का खण्ड विकास अधिकारी अथवा नामित सहायक विकास अधिकारी।
5. संबंधित क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य (श्रीमती लीला धामी)।

(ब) चयन की प्रक्रिया

संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी संबंधित ग्राम में व्यापक प्रचार–प्रसार करके लाभार्थियों के चयन हेतु एक तिथि निर्धारित करेंगे। निर्धारित तिथि को ग्राम सभा की खुली बैठक में लाभार्थी का चयन पशुधन प्रसार अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित सहायक विकास अधिकारी एवं प्रधान द्वारा किया जायेगा। विकास खण्ड के प्रत्येक ग्राम से चयन सूची तैयार कर संबंधित विकास खण्ड के पशुचिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी। विकासखण्ड स्तर पर चयन समिति सभी लाभार्थियों के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी। योजनान्तर्गत प्रथमतः आपदा पीड़ित परिवार को लाभान्वित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार आपदा पीड़ित लाभार्थी उपलब्ध न होने की दशा में निर्धन परिवार, निराश्रित एवं विधवा महिला को प्राथमिकता देते हुए लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। लाभार्थियों में न्यूनतम 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 04 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी होगें। लाभार्थी उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है, जिस ग्राम से लाभार्थी का चयन किया जा रहा है। लाभार्थी के चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा है।

(स) लागत प्रति इकाई (धनराशि रू० में)

क्र०स०	योजना का नाम	प्रति इकाई पशु	प्रति इकाई लागत	सरकार अंश	लाभार्थी अंश
1	बकरा साँड वितरण	01	8000.00	7200.00	800.00
2	मेढ़ा वितरण	01	8000.00	7200.00	800.00
3	गाय पालन इकाई	01	40000.00	36000.00	4000.00
4	खच्चर पालन इकाई	01	100000.00	90000.00	10000.00
5	बकरी पालन इकाई	10 मादा 01 नर	70000.00	63000.00	7000.00
6	भेड़ पालन इकाई	10 मादा 01 नर	70000.00	63000.00	7000.00
7	कुक्कुट पालन इकाई	50	2100.00	2100.00	–

(168)

(द) पशु क्रय समिति

1. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1।
2. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी का एक प्रतिनिधि।
3. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि।
4. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2/पशुधन प्रसार अधिकारी।
5. लाभार्थी

(य) पशु क्रय

योजनान्तर्गत एक से डेढ़ वर्ष की आयु के भेड़/बकरियां व मेढ़ा/बकरा तथा 6 से 8 ली प्रतिदिन दूध देने वाली गाय का क्रय किया जायेगा। कुक्कुट चूजों का क्रय राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से किया जायेगा। पशुओं का क्रय लाभार्थी एवं क्रय समिति द्वारा यथा सम्भव जनपद, प्रदेश के अन्तर्गत एवं आश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। क्रय से पूर्व पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रय स्थल पर पशु के पूर्ण स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिवहन हेतु उपयुक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। पशु क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–1009/XV-1/11/1(4)12 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा पशु क्रय हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(र) पशु बीमा

संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत क्रय किये पशु का क्रय स्थल पर ही निर्धारित बीमा कम्पनी से तीन वर्ष हेतु पशु बीमा व परिवहन बीमा करवाया जायेगा।

3. योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुओं का लाभार्थी द्वारा 05 वर्ष तक विक्रय नहीं किया जायेगा तथा पशुओं की मृत्यु होने पर संबंधित/नजदीकी पशुचिकित्साधिकारी से निरीक्षण कराकर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, ताकि योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त योजनान्तर्गत निम्नानुसार इकाईयों की स्थापना की जायेगी:–

(क)	बकरा साँड वितरण	100 इकाई	(ख)	मेढ़ा वितरण	10 इकाई
(ग)	गाय पालन इकाई	100 इकाई	(घ)	खच्चर पालन इकाई	20 इकाई
(ड)	बकरी पालन इकाई	50 इकाई	(च)	भेड़ पालन इकाई	20 इकाई
(छ)	कुक्कुट पालन इकाई	2000 इकाई			

भवदीया,

(दमयन्ती दोहरे)
प्रभारी सचिव

संख्या– 136 (1)/XV-1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव